रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2246] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2013/आश्विन 4, 1935

No. 2246] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2013/ASVINA 4, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2013

का.आ. **2919**(अ).—विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, नामतः-

1. लघु शीर्ष एवं प्रारम्भ – (1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि को प्रवृत होगा।

2. अनुसूची VI का संशोधन – पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में –

स्तम्भ (5) में "ऑर्किड" से संबंधित क्रम संख्या 237 के लिए जहां कहीं भी "सिमबीडियम मौजैक" व "सिमबीडियम मौजैक वायरस" प्रविष्टियाँ हो, उन्हें हटाया जाएगा।

[फा.सं. 18-2/2012-पीपी II]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव